

ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान जो ग्राम समुदाय की जीवन सुगमता को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्लू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है। और डी.डब्लू.एस.एम. को प्रस्तुत किये जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है। आई०एस०ए० द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है।

1 तैयारी की तारीख

०३/०३/२३

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख

१०/०३/२३

डी.डब्लू.एस.एम. को प्रस्तुत किये जाने की तारीख

2 ग्राम का नाम

परसाई

ग्राम पंचायत का नाम

परसाई

व्लाक का नाम

कालाकोकर

जिला का नाम

प्रतापगढ़

राज्य का नाम

उत्तर प्रदेश

ग्राम जनगणना कोड

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

i. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा (पानी इस्तेहास) मवेशी कुड़ों को और २ (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जलापूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् ६ घन्टे निर्धारित गुणवत्ता वाले ५३ एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष तक ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना।

हर ग्राम समुदाय के लोग अपने अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्य, प्रबन्धन प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हे सदूचित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी को बचायेंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का प्रतिशत प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिणामित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबन्धन में योगदान किया जायेगा।

• पानी की गुणवत्ता का प्रमाणपत्र पी.एच.ई.डी./आर.डब्लू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।

ii. ग्राम पंचायत और/या इसकी उपसमिति, अर्थात् वी.डब्लू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण।

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबन्धन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी ?

(ग्राम पंचायत और/सर इसकी उप-समिति)

ग्राम पंचायत समिति

समिति को क्या कहा जाता है:

VWSC

अध्यक्ष का नाम:-

विकास लुगार

लिंग:-

M

आयु:-

42

सदस्य का नाम	लिंग	आयु
रवीश करण सोनमर	M	33
कृष्ण कुमार	M	25
वीना नाथ	M	58
उमाकान्त	M	42
ईजीत कुमार	M	29
साहबा सोनम	F	34
कुमुद देवी	F	38
प्रियंका //	F	29
वीर //	F	34
आम गवाल गिरा	F	58
ललाटेर //	F	22
ओमी	F	39
शशि कुमार	F	65
एवेन्ज	M	43

iii. सामान्य विवरण

6

2011 की जनगणना के अनुसार	वर्तमान पंचायत/आंगनवाड़ी के अनुसार
जन संख्या..... <u>1969</u>	वर्तमान जन संख्या..... <u>2163</u>
परिवारों की संख्या..... <u>378</u>	परिवारों की संख्या..... <u>618</u>
महिलाओं की संख्या..... <u>995</u>	महिलाओं की संख्या..... <u>1095</u>
पुरुषों की संख्या..... <u>974</u>	पुरुषों की संख्या..... <u>1102</u>
बच्चों की संख्या..... <u>274</u>	बच्चों की संख्या..... <u>373</u>
एफ.एच.टी.सी. की संख्या..... <u>0</u>	एफ.एच.टी.सी. की संख्या..... <u>373</u>

७ जन सरक्या अनुभान

मध्यवर्ती चरण— वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जलसंख्या में 18 की वृद्धि) किलोलीटर/दिन (के एल डी.) अतिम
चरण वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32 वृद्धि) किलोलीटर/दिन (के एल डी.)

किलोलीटर / दिन (के एल डी)

किलोलीटर/दिन (के एल डी) अंतिम

४ वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकार्ड)

९ कृषि फसल पैटर्न

प्रमुख फसलें	खरीफ	रबी
गन्ना	उद्धी	अलसी
धान	उर्द्दहर	चनू
मक्का	तित्प	दारसी
व्हास	दाल्पे	जी
गेहूं	बाजरा	आलू
अन्य		मटर गोद्दु

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी.)

६७

11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि)

स्थलात्म

iv. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया ? (हाँ / नहीं)

(ग्राम कार्य योजना के साथ मानचित्र संलग्न करें)

13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है ? (हाँ / नहीं)

(ग्राम कार्य योजना के साथ मानचित्र संलग्न करें)

14.

क्रम.सं.	सार्वजनिक संस्था का नाम	क्या एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध है। हाँ/नहीं	क्या वर्षा जल संचयन संरचना उपलब्ध है? हाँ/नहीं	सौख्या गडडों की उपलब्धता। हाँ/नहीं
1	स्कूल	हाँ	हाँ	नहीं
2	आंगनवाड़ी	नहीं	''	''
3	स्थास्थ केन्द्र	''	''	''
4	ग्राम पंचायत भवन	हाँ	''	हाँ
5	अन्य		''	

पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता— जनसंख्या × दर

के.एल.डी.

मवेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता

के.एल.डी.

मवेशी कुड़ों की आवश्यक संख्या

मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता—जनसंख्या × दर

के.एल.डी.

अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता—जनसंख्या × दर

के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति
17. आपतकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टकियों, रेलगाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति
18. पानी की आपूर्ति से सम्बन्धित आंशिक कार्य चोत को मजबूत करने का इतिवृत्त
19. जल जनित रोगों का इतिवृत्तः

पानी की गुणवत्ता

20. फील्ड परीक्षण किट/वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीखें
21. सैनेट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख
22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/प्रस्तावित पेयजल चोत (चोतों) के पानी की गुणवत्ता: चोत का नाम (अवस्थिति)

मापदंड	तरीका	परिणाम
गंदगी	दृश्य तुलना	
पी.एच.	पट्टी रंग तुलना	
पूर्ण लवणता	टिट्रीमेट्रिक विधि	
पूर्ण क्षारीयता	टिट्रीमेट्रिक विधि	
व्हलोराईड	टिट्रीमेट्रिक विधि	
अमोनिया	दृश्य रंग तुलना	
फास्फेट	दृश्य रंग तुलना	
अवशिष्ट व्हलोरीन	दृश्य रंग तुलना	
आयरन	दृश्य रंग तुलना	
नाइट्रेट	दृश्य रंग तुलना	
फ्लोराईड	दृश्य रंग तुलना	
आर्सेनिक (हाटस्पॉट में)	दृश्य रंग तुलना	

कपड़े धोने/स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/या नल कनेक्शन के लिए प्रयाप्त जगह न हो ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या जिनमें कपड़े धोने/स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं:

अवस्थिति का नाम	घरों की संख्या	आबादी
पाईट छाल	45	350
केंद्रीय काषुरगा	25	150
झुके धराघाषुरगा	55	450
सरोज बस्ती	9	70

स्रोत स्थायित्व

- 24 भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना हैं (हाँ/नहीं)
- 25 गांव में न मौजूदा जल भांडारों की सूची जिनका कायाकल्प/ मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है।

गंदले जल का प्रबन्धन

- 26 उत्पन्न गंदला जल (जल अपूर्ति का 65 प्रतिशत) के एल.डी

अलग-अलग सोख्ता गड़दों वाले परिवारों की संख्या

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोख्ता गड़दों की आवश्यकता है:

आवश्यक सामुदायिक सोख्ता गड़दों की संख्या

क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है ?(हाँ/नहीं)

यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है?

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबन्धन कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए?

v. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी सी प्रदान किए जायेंगे?

- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनों रेट्रोफिटिंग
- पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/सिंग वाटर/स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवाली बस्तियों में स्थित है।

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर

जल प्रबन्धन मिशन प्रतापगढ़

इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि

वह तारीख, जिसपर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी:

योजना की लागत: भारत सरकार का हिस्सा 45% राज्य का हिस्सा 45%

सामुदाय का हिस्सा 10%

व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुक्रल/प्रयोक्ता शुल्क

कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित पी.डब्ल्यू.एस.

vi. मेल जौल

(निम्नलिखित तालिका में उन संमावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/निधि मेल-जौल संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

29

योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	सम्मावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
चौदहवां वित आयोग	ग्राम पंचायत	ग्रे वाटर मैनेजमेन्ट ड्रेनेज सिस्टम आदि	
स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण	पेयजल और स्वच्छता	ग्रे वाटर मैनेजमेन्ट, सोख्ता	

(एस बी एम जी)	विभाग जल नियंत्रण मन्त्रालय	गढ़वे (व्यवितमत / सामूहिक) अपशिष्ट तब्दियों तालाब आदि	
एम जी एन आर ई जी एस	ग्रामीण विकास मन्त्रालय	प्रकृतिक संसाधन प्रबन्ध (एन आर एम) घटक के तहीं सभी जल संरक्षण गतिविधियाँ।	
एकीकृत वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्लू.एम.पी)	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबन्धन / आर.डब्लू.एच / कृषिम पुनर्भरण, जल निकासी का निर्माण / गृहिंदि	
जल भंडारों की मरम्मत नवीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीर्णोद्धार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वी आई.)	कृषि सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से सम्बद्धित कार्य	
प्रधनमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मन्त्रालय	जल की अधिक खत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूखम-सिंचाई का प्रावधान, एकवीफस से जल की निकासी को कम करने के लिए	
क्षतिपूरक धनीकरण कोष प्रबन्धन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, धन और जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय	धनीकरण धन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जनन, वाटरशेड विकास आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	कौशल विकास और उद्यमित मन्त्रालय	आर.डब्लू.एस.योजना के लिए आवध्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण आदि।	
समय शिक्षा	मनव संसाधन विकास मन्त्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान	
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिला खनिज विकास निधी (टी.एम.एफ)	राज्य	बैडे पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम.पी.एल.ए.डी.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय एम.ओ.ए.पी.आई.)	अंतः ग्राम अवसंरचना	
एम.एल.ए.ए.ल.ए.डी	राज्य	अंतः ग्राम अवसंरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उपयोजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मन्त्रालय और राज्य	अंतः ग्राम अवसंरचना	
दानदाता/प्रायोजक			

अध्यक्ष का हस्ताक्षर



पी.एच.ई.डी. / आर.डब्लू.एस. निधि के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर:

आई.एस.ए प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर :

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या त्रिसकी उप-समिति अथवा दूसरी ग्रामीण समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर—

- पानी समिति के अध्यक्ष का नाम व फोन नंबर **विकास कुमार 8127537403**
- पंचायत सचिव का नाम व फोन नंबर **रमेश कुमार शौनकर 8090091566**

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर—

- Amar kumar 761927033**
- AJAHID Patel 6388691253**
- Maheendra Kumar 9886018201**
- Dharmendra 11 9956015201**

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पाँच महिलाओं के नाम और फोन नंबर—

- विनीत देवी — 7651927033**
- ऋषीन बानी — 9838546045**
- लोनदी 11 — 7309103714**
- जालकुन देवी — 8009457220**
- सुनीता देवी — 7754942966**

पम्प आपरेटर को नाम और फोन नंबर

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| Rajendra Kumar | 9118660218 |
| Vijay Kumar | 7985814535 |
| Saurabh Sharma | 9794222023 |